यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), रुद्रप्रयाग** के माह 10/2015 से 04/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री शरत श्रीवास्तव** एवं श्री एस0के0 गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं **श्री** मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 07.05.2018 से 18.05.2018 तक श्री **सुनील कल्ला**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **राजेंद्र कुमार जोगी** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री महेश चन्द, पर्यवेक्षक** द्वारा दिनॉक 25.10.2015 से 06.11.2015 तक श्री **अविनाश चन्द्र कटियार**, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2014 से 09/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की **जाँच** की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2015 से 04/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की **जाँच** की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**
कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं अधिक के बसावटों को मोटर मार्ग से संयोजित करना है। इसके अतिरिक्त स्टील एवं आरसीसी सेतु का भी निर्माण किया जाता है। कार्यालय का कार्य क्षेत्र रुद्रप्रयाग का ग्रामीण क्षेत्र एवं अगस्त्यमुनि तथा उखीमठ विकासखण्ड है।
(ii) (अ) विगत **तीन** वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		गैरस्थापना		स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	गैर स्थापना	स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	133.66	2875.59	2497.38	159.96	147.30	–	146.32	–	378.21
2016–17	–	113.18	3083.52	3069.57	274.16	357.43	–	29.91	–	13.95
2017–18	–	28.39	3701.05	2517.02	367.60	217.63	–	178.36	–	1184.03

नोटः 1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को **गैर-स्थापना मद के अवशेष** बजट का सर्मपण किया गया।

2. स्थापना मद मे वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई राशि:- वर्ष 2015-16: अनुरक्षण मद-रु. 29.78 लाख **&** प्रशासनिक मद- रु. 1.36 लाख**;** वर्ष 2016-17: अनुरक्षण मद- रु. 1.52 लाख

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	पीएमजीएसवाई प्रोग्राम फ़ंड	-	2875.59	2497.38	–	378.21
2016–17		-	3083.52	3069.57	–	13.95
2017–18		-	3701.05	2517.02	–	1184.03

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रोग्राम फंड (पीएमजीएसवाई) मद में केंद्र से प्राप्त होता है एवं अनुरक्षण, प्रशासन, आपदा एवं क्षतिपूर्ति मद मे राज्य सरकार से प्राप्त होता है। गैर-स्थापना एवं स्थापन ब्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

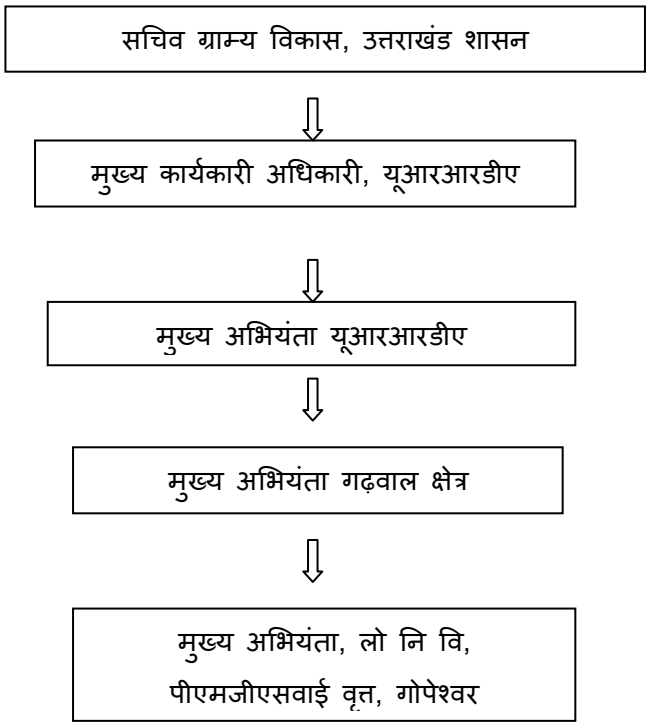

अधीक्षण अभियंता, लो नि वि,
पीएमजीएसवाई वृत्त, गोपेश्वर

अधिशासी अभियंता, पीएमजीएसवाई,
सिंचाई खंड, रुद्रप्रयाग

सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई, सिंचाई
खंड, रुद्रप्रयाग

कार्यालयी विभागीय अधिकारी, कनिष्ठ
अभियंता एवं कर्मचारी पीएमजीएसवाई,
सिंचाई खंड, रुद्रप्रयाग

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), रुद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017** को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 1 कार्य के परिमाण मे बहुत अधिक अंतर होने के पश्चात भी एनआरआरडीए की मंजूरी प्राप्त किये बगैर ₹ 1085.53 लाख का आधिक्य व्यय किया जाना

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर 11.5 मे यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कार्य के क्षेत्र अथवा कार्य के परिमाण मे बहुत अधिक अंतर है तो एनआरआरडीए की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी और इस अंतर को उसी फेस के अंदर जिला स्तर अधिशेष मे वहन किया जायेगा। फेस एक से फेस पंद्रह तक के अंतर्गत किए गये कार्यो की संवीक्षा मे पाया गया कि निम्नलिखित कार्यो मे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यो की राशि मे अत्यधिक अंतर को राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया, किन्तु एनआरआरडीए की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की गयी। तथा बिना मंजूरी के ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया जो दिशानिर्देश के विरुद्ध था।

कार्य का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	अनुबंध की राशि	व्यय राशि	आधिक्य राशि	आधिक्य प्रतिशत	कार्य की प्रगति
भीरी परकन्डी मोटर मार्ग	179.72	179.72	246.21	66.49	37	100
ताला बंगाली मोटर मार्ग	90.27	79.49	112.62	33.13	42	100
बष्टि से हाट मोटर मार्ग	406.09	391.45	530.37	138.92	35	100
गुलाबराय तूना मोटर मार्ग	207.57	198.81	270.51	71.70	36	100
सड़ांगु सारी मोटर मार्ग	309.52	329.49	480.54	151.05	46	100
सड़ांगु सारी मोटर मार्ग	174.24	159.43	229.35	69.92	44	100
रुद्रप्रयाग चोपड़ा मोटर मार्ग अपग्रेडेशन	461.75	452.55	586.00	133.45	29	100
रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग अपग्रेडेशन	1690.46	1523.84	1944.71	420.87	28	100
कुल राशि	**3519.62**	**3314.78**	**4400.31**	**1085.53**		

इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि पर्वतीय क्षेत्र के मोटर मार्गो मे भौगोलिक परिस्थिति के कारण कार्यो मे अत्यधिक व्यय हो जाता है। जिसकी स्वीकृति मुख्य अभियंता यूआरआरडीए से प्राप्त की जाती है। भविष्य मे ऐसे प्रकरणो मे एनआरआरडीए से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत व्यय किया जायेगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस बात कि पुष्टि हो जाती है कि कार्य के परिमाण मे बहुत अधिक अंतर होने के पश्चात भी एनआरआरडीए की मंजूरी प्राप्त किये बगैर ₹ 1085.53 लाख का आधिक्य व्यय किया गया जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दिशानिर्देशों के सर्वथा विपरीत था।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 02 : डीएलपी के दौरान आपदा-क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण पर कार्यालय द्वारा आपदा-मद से ब्यय किए जाने के कारण राजकोष पर ₹ 100.69 लाख का अतिरिक्त बोझ एवं ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जाना।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानक निविदा दस्तावेज़ (Standard Bidding Document) के बिन्दु संख्या-13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपने ब्यय पर नियोजक और स्वयं के संयुक्त नाम से बीमा सुरक्षा कार्य के प्रारम्भ होने से लेकर कार्य के पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लेना होगा जिससे ठेकेदार द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्य एवं उपकरण की किसी आकस्मिक आपदा यथा बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प इत्यादि एवं ब्यक्तिगत दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति मे आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। बिन्दु संख्या-13.2 प्रावधानित करता है कि बीमा योजना एवं उससे संबन्धित प्रमाणपत्र ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ किए जाने के पूर्व ही अभियंता को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जाएगी। मानक निविदा दस्तावेज़ का बिन्दु संख्या 13.3 (a) निर्देशित करता है कि ठेकेदार अपने ब्यय पर बीमा आच्छादन कार्य प्रारम्भ होने से Defects Liability Period के अंत तक के लिए प्राप्त करेगा और अनुबंध के आंकड़ों मे सभी कटौतियों का उल्लेख करेगा।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंधों की जांच करने पर पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा मानक निविदा दस्तावेज़ के अनुसार बीमा सुरक्षा संबंधी कोई भी प्रमाणपत्र इकाई को प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि उतराखंड राज्य एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर भारी वर्षा, भूस्खलन एवं भूकम्प के कारण निर्माण कार्य, उपकरण एवं श्रमिकों को क्षति होना प्रायः होता है।

भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (Insurance Information Bureau of India) के अनुसार सड़क निर्माण हेतु सभी प्रकार के जोखिमों को आच्छादित करने वाली एकल बीमा योजना (constructions all risk insurance) उपलब्ध है जिसकी दरें निम्नवत हैं- (विस्तृत विवरण संलग्न)-

निर्माण का प्रकार	जोखिम	प्रथम तीन माह हेतु प्रीमियम दर	तीन माह की अवधि के पश्चात प्रीमियम दर
सड़कें	भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर	2%-3%	0.025%-0.04%

अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि किसी भी अनुबंध बॉन्ड में कार्यालय द्वारा निर्गत किए स्वीकृति पत्र (letter of acceptance) में बीमा का उल्लेख नहीं

किया गया था। इसके अतिरिक्त 'Contract Data to General Conditions of Contract' में कहीं भी बीमा या उससे संबन्धित कटौतियों का उल्लेख नहीं किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 के बीच ₹ 113.15 लाख का प्रस्ताव [संलग्नक- A, B, C] नियमों/शर्तों के विपरीत Defects Liability Period के दौरान जिलाधिकारी को वर्षा एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं मोटरमार्गों के पुनर्निर्माण हेतु भेजा गया, जिसमे से ₹ 100.69 लाख टीएसी की संस्तुति के पश्चात कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है-

(₹ लाख में)

वर्ष	कार्यालय द्वारा दैवीय आपदा मद मे पुनर्निर्माण मद में भेजा गया प्रस्ताव	शासन द्वारा प्राप्त धनराशि	पुनर्निर्माण पर हुआ कुल ब्यय
2015-16	2015-16	9.13	9.08
2016-17	2016-17	46.8	38.18
2017-18	2017-18	57.22	53.43[1]
योग		**113.15**	**100.69**

यदि संलग्नक- A, B, C मे उल्लेखित सभी 19 निर्माण कार्य डीएलपी के दौरान बीमा आच्छादित होते तो क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक ब्यय का वहन बीमा कंपनी द्वारा किया जाता।

कार्यालय द्वारा मानक निविदा दस्तावेज़ के अनुसार ठेकेदारों को बीमा सुरक्षा हेतु निर्देशित नहीं किये जाने के कारण डीएलपी के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। इस स्थिति मे क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण पर होने वाले ब्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, जो कि नियमतः बीमा आच्छादित होने की स्थिति मे बीमा कंपनी के माध्यम से किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार नियमानुसार बीमा नहीं कराये जाने के कारण कार्यालय द्वारा न सिर्फ ठेकेदारों को बीमा प्रीमियम भुगतान के रूप में अनुचित लाभ पहुंचाया गया अपितु डीएलपी बीमा आच्छादित नहीं होने के स्थिति आपदा क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य ठेकेदार का उत्तरदायित्व न होकर कार्यालय का दायित्व बना, और इस पर कार्यालय द्वारा आपदा-मद से ₹ 100.69 लाख ब्यय किया गया जो को राजकोष पर बोझ (burden on exchequer) था।

[1] पुनर्निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानक निविदा दस्तावेज़ (Standard Bidding Document) के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपने ब्यय पर नियोजक और स्वयं के संयुक्त नाम से बीमा सुरक्षा डीएलपी हेतु नहीं लिया गया था।

ठेकेदार द्वारा डीएलपी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा नहीं प्राप्त किए जाने की स्थिति मे कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रमाणपत्र (Letter of Acceptance) निर्गत किए जाने एवं ठेकेदार को एस0 बी0 डी0 के अनुसार डी0 एल0 पी0 हेतु बीमा योजना लिए जाने हेतु कार्यालय द्वारा निर्देशित किए जाने के बारे मे पुछने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि अनुबंध मुख्य अभियंता (यूआरआरडीए) के स्तर से गठित होता है, अतः इकाई के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं होनी थी। उत्तर भ्रामक है क्यों कि इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए पत्रांक 2583/29/याता0/2016 दिनांक 29.11.2016 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि डीएलपी के दौरान क्षतिग्रस्त कार्यों पर दैवी आपदा के प्रस्ताव नहीं प्रेषित किए जाने चाहिए। इस निर्देश की प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी प्राप्त हुई, परंतु डीएलपी के दौरान क्षतिग्रस्त कार्यों का आगणन दैवीय आपदा के मद में जिला प्रशासन को भेजते समय उपरोक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे ठेकेदारों को बीमा प्रीमियम के रूप मे अनुचित लाभ पहुंचा एवं राजकोष पर रु. 100.69 लाख का बोझ पड़ा।

इस प्रकार डीएलपी के दौरान आपदा क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण पर कार्यालय द्वारा आपदा-मद से ब्यय किए जाने के कारण राजकोष पर ₹ 100.69 लाख के अतिरिक्त बोझ एवं ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तरः- 3 ₹ 872.27 लाख व्यय के बावजूद मार्ग के 1.50 कि0मी0 का कार्य न होने के कारण उद्देश्य की पूर्ति न होना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देश के पैरा 8.5 (VI)(क) के अनुसार पहाड़ी राज्यो के मामले में यदि मार्ग का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है तो किसी भी बसावट को तब तक संपर्क युक्त नहीं माना जाएगा जब तक कि दूसरा चरण पूरा नहीं हो जाता।

अधिशासी अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 रूद्रप्रयाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2008-09 में रूद्रप्रयाग गौरीकुण्ड से नारी मोटर मार्ग जिसकी लंबाई 12.50 कि0मी0 थी, का निर्माण कार्य दो स्टेज में किया जाना था। स्टेज 1 में निर्माण कार्य हेतु ₹ 373.50 लाख तथा रखरखाव हेतु ₹ 25.77 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत वर्ष 2007-08 में प्रदान की गई थी जिसमें मुख्यतः कटिंग, दीवार निर्माण, काजवे, रोड फर्नीचर के कार्य किए जाने थे। इकाई द्वारा स्टेज-1 के कार्यो के लिए ठेकेदार के साथ अनुबन्ध सं0-39/SE-7/2008-09 दिनांक 25/07/2008 (अनुबन्ध राशि निर्माण=₹ 36418925.75 अनुरक्षण=₹ 2580116.00) गठित कर कार्यादेश जारी किया गया। स्टेज-1 का कार्य माह 07/2008 में प्रारम्भ कर माह 07/2009 तक पूर्ण किया जाना था। क्रियान्वयन के दौरान ठेकेदार द्वारा दिनांक जून 2010 को अपने पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन मार्ग के 11 कि0मी0 से 12.50 कि0मी0 तक अर्थात 1.50 कि0मी0 मार्ग के कटिंग का कार्य ग्रामीणो द्वारा करने नहीं दिया जा रहा है। अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्थदण्ड के साथ जनवरी 2016 तक समय वृद्धि प्रदान भी प्रदान की गई थी परंतु ठेकेदार द्वारा 1.50 कि0मी0 मार्ग के स्टेज 1 का कार्य नहीं किया गया। तथा ठेकेदार के देयक का अनतिमिकरण कर कुल ₹ 364.93 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया था जिसमे से ₹ 33.74 लाख की धनराशि का अतिरिक्त मद के कार्यो के लिए भी भुगतान किया गया था। इस प्रकार इकाई द्वारा कि0मी0 11 से कि0मी0 12.50 तक के स्टेज 1 के कार्यो को पूर्ण करने हेतु कोई भी सार्थक कार्यवाही नहीं की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 1.50 कि0मी0 का स्टेज 1 का कार्य लेखापरीक्षा तिथि (मई, 2018) तक अपूर्ण था। अर्थात ₹ 364.93 लाख व्यय किए जाने के पश्चात भी 1.50 कि0मी0 का स्टेज 1 का कार्य अपूर्ण था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस मार्ग के स्टेज 2 के निर्माण कार्य हेतु ₹ 628.57 लाख तथा रखरखाव हेतु ₹ 66.36 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत वर्ष 2013-14 में प्रदान की गई थी। इकाई द्वारा स्टेज 2 के कार्य हेतु अनुबन्ध सं0 18/SE/PMGSY/2014-15 दिनांक 19/08/2014 (अनुबन्ध राशि निर्माण ₹ 61353609.08 अनुरक्षण ₹ 6075625.00) के अंतर्गत ठेकेदार के साथ अनुबन्ध गठित किया था। स्टेज 2 के अनुबन्ध में मार्ग का वह 105 कि0मी0 भी शामिल था जिसपर स्टेज 1 में होने वाले प्रारम्भिक कार्य नहीं हुए थे जबकि बिना स्टेज 1 के कार्य किये स्टेज 2 के कार्य नहीं किए जा सकते।

इकाई की MPR माह (04/2018) के अनुसार स्टेज 2 के कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक 93 प्रतिशत पूर्ण दर्शाया गया तथा ठेकेदार को ₹ 507.34 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया था। अर्थात इस मार्ग पर स्टेज 1 एवं 2 में ₹ 872.27 लाख व्यय करने के पश्चात भी मार्ग के अंतिम छोर के 1.50 कि0मी0 का कार्य न होने के कारण सम्पूर्ण बसावट को संपर्क युक्त करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

इस सम्बन्ध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि ग्रामीणो द्वारा विवाद के कारण स्टेज I में 1.50 कि0मी0 मार्ग नहीं काटा जा सका तथा ग्रामीणो की सहमित कि प्रत्याशा में स्टेज II के निर्माण में शेष 1.50 कि0मी0 निर्माण शामिल किया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्टेज I का कार्य आरम्भ हुए 8 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी अंतिम 1.50 कि0मी0 के मार्ग पर सहमति नहीं हो पायी तथा बिना सहमति प्राप्त किये प्रत्याशा में स्टेज II के कार्यो में भी शामिल कर लिया गया। जो पी0एस0जी0एस0वाई0 के दिशानिर्देशों के विपरीत है।

अतः मार्ग पर स्टेज 1 एवं 2 में ₹ 872.28 लाख व्यय करने के पश्चात भी मार्ग के अंतिम छोर के 1.50 कि0मी0 का कार्य न होने के कारण सम्पूर्ण बसावट को संपर्क युक्त करने के उद्देश्य की पूर्ति न होने के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तरः- 4 प्राविधिक स्वीकृति और अनुबंध की मदों और दरो मे विभिन्नता के कारण ₹ 153.47 लाख का अधिक व्यय।

वित्तीय हस्तपुस्तिका नियम 318 मे यह स्पष्ट किया गया है कि विस्तृत आंगणन तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति के लिये प्रेषित किया जाना चाहिये। यह स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति के रूप मे होगी। इसकी गणना पूर्णतया वास्तविक और सही आकड़ों पर आधारित होगी।

(अ) लेखापरीक्षा के दौरान उखीमठ मंसौना जुगासु राउलेक उनियाना मोटर मार्ग की तकनीकी स्वीकृति मे संलग्नक बिल आफ़ क्वांटीटी मे अंकित मदो और उक्त कार्य को किए जाने हेतु किये गये अनुबंध सं/05 0एस ई 15-2014/पीएमजीएसवाई-दिनांक मे अंकित मदो मे 2014/07/03 विभिन्नता पायी गयी । तथा ठेकेदार द्वारा कार्य अनुबंध के अनुसार किया गया, तथा अनुबंध मे दर्शायी गयी अधिक मदों के अनुसार भुगतान किया गया। (1-संलग्नक)

(आ) इसी प्रकार लंबगौड़ी (मनपट्टा) से देवली भणी मोटर मार्ग में मोटर मार्ग के 3.973 कि0मी0 लागत ₹ 190.96 लाख तथा 5 वर्ष के अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिये लागत ₹ 11.40 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल लागत ₹ 202.36 लाख मात्र की स्वीकृत भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2011 में प्रदान की गई थी। मार्च 2013 में प्रस्तुत विस्तृत आगणन पर स्वीकृत के सापेक्ष प्राविधिक स्वीकृत प्रदान की गई थी। अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया कि कुछ मदों में प्राविधिक स्वीकृत में दर्शित एस0ओ0आर0 की दरो से अलग दरो पर अनुबंध किया गया और अनुबंध में दर्शी गयी दरो के अनुसार बिल पारित कर भुगतान किया गया। जबकि अनुबंध 3 प्रतिशत कम पर किया गया था। (संलग्नक-2)

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि निविदा प्रक्रिया के दौरान उच्चाधिकारियो के दिये गये निर्देश के आधार पर कुछ स्पेशिफिकेशन परिवर्तित किये जाते है। जिस कारण अनुबंध मे मात्रा परिवर्तित हो जाती है। तथा अनुबंध करते समय एसओआर की दर मे परिवर्तन के कारण दर मे परिवर्तन परिलक्षित है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योकि यदि स्पेशिफिकेशन मे परिवर्तन होता है तो इसके अभिलिखित कारण दर्ज होने चाहिये तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने चाहिये। तथा जब अनुबंध कम दर पर किया जा रहा है तो एस0ओ0आर0 की दर मे परिवर्तन से प्राविधिक स्वीकृति मे दर्शाई गयी दर से अधिक दर पर अनुबंध कर भुगतान नहीं किया जा सकता।

अतः प्राविधिक स्वीकृति और अनुबंध की मदों और दरो मे विभिन्नता के कारण ₹ 153.47 लाख[1] का अधिक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

[1] ₹ 149.55 लाख+₹ 392 लाख=₹ 153.47 लाख

संलग्नक1-

उखीमठ मंसौना जुगासु राऊलेक उनियाना मोटर मार्ग

कार्य की मद का नाम	तकनीकी स्वीकृति मे अंकित मद	अनुबंध मे अंकित मद	भिन्नता	दर	भुगतानित राशि
Construction of embankment with approved material	4645.00	5385.55	740.55	58.30	43,174.06
Coolie walling for edge/filling protection	1444.05	7423.88	5979.83	987.20	59,03,288.17
Providing edge stone in vally side	10750.00	11300.00	550.00	47.51	26130.50
Type A W metal beam crash barner	2500.80	3900.00	1399.20	2205.70	3086215.44
Construction of hill side kuccha drain	4083.00	18000.00	13917.00	50.10	697241.70
Scanifying existing Bituminous surface	69375.00	75375.00	6000.00	4.60	27600.00
WBM grading 3 providing laying spreading and compacting stone	6761.25	7230.65	469.40	2006.20	941710.28
Providing and applying primer coat	90337.50	96408.75	6071.25	36.50	221600.62
Providing and applying tack coat with bituminous emulson	90337.50	96408.75	6071.25	13.30	80747.62
Providing laying and rolling of open graded premix carpet	90337.50	96408.75	6071.25	177.00	1074611.25
Providing and laying seal coat	90337.50	96408.75	6071.25	81.50	494806.87
Construction of pucca scupper including catch pit	14.50	172.50	158.00	18716.50	295720.70
Providing and laying M10 grade plain cement	55.42	111.34	55.92	4839.30	270613.65
Stone Masonary in Cement mortar 1:4	62.04	363.00	300.96	3478.70	1046949.55
Stone Masonary in Cement mortar 1:5	55.37	289.99	234.62	3158.80	741117.65
Providing and fixing hectometer stone	86.00	92.20	6.20	571.40	3542.68
			अंतर	**₹**	**149,55,070.75**

संलग्नक-2

लंबगौड़ी (मनपट्टा) से देवली मणि मोटर मार्ग

मदों का नाम	मदों की मात्रा	प्राविधिक स्वीकृत मे अंकित दर	पारित बिल मे अंकित दर	दरो मे अन्तर	अधिक भुगतानित राशि
Random Rubble masonary laid dry for retaining wall and breast wall	1074.17	797.60	881.60	84.00	90230.28
Providing concrete for plain concrete in open foundation	113.51	3083.60	4265.90	1182.30	134202.87
Supply fitting and placing MS bar	105.42	4756.49	4851.40	94.91	10085.41
C.R. Stone masonary in 1:4 cement sand mortar	367.10	2687.70	2793.00	105.30	38655.63
C.R. Stone masonary in 1:5cement sand mortar	384.87	2220.60	2421.70	201.10	77397.36
Construction of hill side pucca drain	400.00	424.80	494.00	70.00	28000.00
Providing edge stone on vally side	1588.80	24.20	31.00	6.80	10803.84
Providing and fixing of kilometer stone	4.00	1697.30	2373.20	675.90	2703/-
			अंतर की राशि ₹		**391998.39**

भाग- दो (ब)

प्रस्तरः- 5 कार्यो के माप किये बगैर ठेकेदार को एकमुश्त भुगतान किया जाना ₹ 1222.70 लाख।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 435 मे यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कार्यो या आपूर्ति के विरुद्ध किया गया भुगतान माप पुस्तिका मे मापी गयी मात्राओ पर आधारित होना चाहिए। किन्तु चयनित माह 03/2016 एवं 03/2017 कि रोकड बही, बिल बाउचर और माप पुस्तिका कि जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित कार्यो मे बिना मापो के ठेकेदारो को एकमुश्त भुगतान किया गया। जो वित्तीय हस्तपुस्तिका मे दिये गये प्रावधानों के विपरीत था। जिसकी स्थिति निम्नलिखित थी:-

क्रम सं0	माह	कार्यो का नाम	एकमुश्त भुगतान कि राशि
1	03/2016	Upgradation of Ukhimath-Mansoona-Jagasu-UniyanaMotar Road	50.00 lakh
2	03/2016	Construction of Rudraprayag-Gaurikund M.R Km. 7.00 to Nari M.R in length 12.5 Km. Stage-II works	50.00 lakh
3	03/2016	Gradation of Rudraprayag-Pokhari Motor road in length of 42.00 Km. under PMGSY	100.00 Lakh
4	03/2016	Construction and maintanace of Jakholi-Guptkaashi (Basti) to HattMotar Road Stage-II works and maintenance for five road length. 18 Km. under PMGSY phase-X Package No. UT 10-03/X	50.00 lakh
5	03/2016	Construction and maintenance of duladharbendGaneshnagar (stage II) Motar Road Stage-II work and maintenance for five years road length.	50.00 lakh
6	03/2016	Construction of 36 mtr. Span steel Girder bridge at Km. 32 & 18 mtr. Span steel Girder Bridge at Sangu motor road	60.00 lakh
7	03/2016	Construction of RCC bridge in Km. 2,17,19&21 SangusARI motor - road Under PMGSY	lakh 25.00
8	03/2016	Upgradation of Ukhimath-Mansoona-Jagasu-UniyanaMotar Road	lakh 60.00
9	03/2016	Construction and maintenance of duladharbendGaneshnagar (stage II) Motar Road Stage-II work and maintenance for five years road length.	lakh 70.00
10	03/2016	Construction and maintanace of Jakholi-Guptkaashi (Basti) to HattMotar Road Stage-II works and maintenance for five road length. 18 Km. under PMGSY phase-X Package No. UT 10-03/X	lakh 55.00
11	03/2016	Kyark -Construction & five year maintenance of Basukedar Km under PMGSY 2.91-II in length-Barsuri Motor Road Stage	lakh 12.00
12	03/2016	with preliminary and Detailed survey 1-Preparation of DPR stage private land proposal trace bush cutting preparation of forest and cut in 0.60 mtr. with preparation of design of DPR with Maps in .five copies	lakh 2.70

13	03/2016	Upgradation of Ukhimath-Mansoona-Jagasu-UniyanaMotar Road	lakh 30.00
14	03/2017	Construction and maintanace of Jakholi-Guptkaashi (Basti) to HattMotar Road Stage-II works and maintenance for five road length. 18 Km. under PMGSY phase-X Package No. UT 10-03/X	lakh 25.00
15	03/2017	-under PMGSY phase 11-Balsundi to Akhori Motor Road stage XIII	lakh 57.00
16	03/2017	II-Duladharband to Ganeshnagar Motor Road, Stage	lakh 20.00
17	03/2017	Lambgaundi (Mallpatta) to Dewali, Bhanigram, stage-II	lakh 30.00
18	03/2017	Construction of Extension Jagasu-Ransi Talsari Motor Road Stage-II	lakh 30.00
19	03/2017	Construction of Chopra to Udamanda Motor Road Work	lakh 30.00
20	03/2017	Construction of Rudrapryag Garikndi MR Km 7 to Nari motor road	lakh 56.00
21	03/2017	Construction of steel Girderbridge in Km 25.525 sangu-sari motor road under-PMGSY	lakh 40.00
22	03/2017	Up Gradation of Badubagar-Bhausal Motor Road in length of 12.50 km under PMGSY.	lakh 35.00
23	03/2017	Bhausal Motor road in length of -Gradation of Badubagar-Up under PMGSY 12.050	lakh 185.00
24	03/2017	I-Stage Construction Javri to Jaikandi Motor Road	lakh 70.00
25	03/2017	Sangu to Sari Motor raod stage –II under PMGSY	lakh 30.00
		Toal	**लाख 1222.70**

इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि अभियंताओ द्वारा कार्यो की माप की जाती है, किन्तु कार्य की अधिकता के कारण माप पुस्तिका मे अंकन नहीं किया जा सका।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योकि देयकों का भुगतान माप पुस्तिका मे दर्ज कार्य की मापो के आधार पर ही किया जाना चाहिये। एकमुश्त ठेकेदार को भुगतान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः चयनित माह कि जांच के अनुसार, कार्यो के माप किये बगैर ठेकेदार को एकमुश्त भुगतान किये जाने ₹ 1222.70 लाख का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तरः- 6 सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार को ₹ 7.26 लाख का अदेय भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पैरा 9.3 अनुसार सड़क निर्माण में मिट्टी एवं मलबे ढुलान के निस्तारण हेतु 20 मी0 तक अलग से लीड चार्जेज (Lead Changes) ठेकेदार को भुगतान करने का प्रावधान नहीं है।

अधिशासी अभियंता, पी0एस0जी0एस0वाई0 के वाउचर्स/अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि ठेकेदार के चालू देयकों माह 03/2017 में ₹ 6.59 लाख एवं माह 03/2016 की ₹ 0.67 लाख कुल ₹ 7.26 लाख का भुगतान मलबे के ढुलान एवं निस्तारण हेतु दिया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

Name of Contractor	**Name of work**	**Voucher No.**	**Executed up to date**	**Rate**	**Payment to Contractor**
M/s Bhatt & Thapliyal Engineering	Up Gradation of Rudraprayag pokhari Motor road in Length of 42.km	03/27//3/2017	4844.290	68.50	331833
M/s Jaspal Singh	Const & Maintanance of Duladharband Ganeshnagar Motor Road Stage-I	4/29/3/2017	4142.52	79	327259
M/S Devraj Singh Contractor	Balsundi Akhori Tiwara Bawai	-/11/3/2016	2435.19	27.60	67238.84
				Total=	7,26331

इस संबंध में जब विभाग से पूछा गया को विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि भौगोलिक परिस्थितियो के कारण मलबा ढुलान का अतरिक्त कार्य किया गया जिसका अनुमोदन सचम प्राधिकारी से करा दिया गया है। अतरिक्त कार्य केन्द्र सरकार के प्रोग्राम फंड पर भारित किया गया है।

उत्तर मान नहीं है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम फंड पर मलबा ढुलान का अतरिक्त कार्य का कोई भी लीड चार्ज (Lead Changes) ठेकेदार को भुगतान करने का प्रावधान नहीं है।

अतः ठेकेदार को ` 7.26 लाख का अनुचित लाभ प्रदान करने के अदेय भुगतान कर ठेकेदार का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः- 1 विभाग की उदासीनता के कारण ₹ 730.71 लाख व्यय करने के बाद भी विगत 6 से 8 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लो निर्माण विभग को सड़क हस्तांतरित न किया जाना।

प्रधान्मंत्री ग्रामीण सड्क योजना से सम्बन्धित मासिक प्रगति आख्या/अभिलेख कि नमीना जांच करने पर यह पाया गया की माह 04/2018 तक चार सड़क जिनका स्टेज-॥ कार्य समाप्त हुये 6 से 8 वर्ष व्यतीत हो चुका था। तथा इन सड़को के निर्माण पर ₹ 730.71 लाख व्यय हुआ था। किंतु लेखा परीक्षा तिथि तक यह सड़के पूर्ण होने के बाद भी **हस्तांतरित** पड़ी हुई थी। जिसका विवरण निम्नवत है।

Sr.No,	Name of work	Cost of work Up to 3/2018	Financial /Physical Achiepment	Date of completion of work	Handing over Road as on 4/2018
1.	Gulabral Tuna Motor Road Stage ii	288.04	100%	9/2013	No
2.	Basukedharbasurii Motor Marg u.t.10.1.smt ushasinghRawatTharali	55.43	100%	1/2010	N0
3.	Duladhar Bend- Ganeshnagar Motor Road	296.16	100%	3/2011	No
4.	Balsundi-Akhori Motor Road	91.08	100%	3/2013	No
	Total-	**730.71**			

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात पाँच वर्ष अनुरक्षण मद मे रख रखावों किया जाता है। जिस कारण हन्स्तगत करने मे विलम्ब होता है। एवं इस इस संदर्भ में ग्राम विकास विभाग से कोई आदेश प्राप्त नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है चूकि पाँच वर्ष की अनुरक्षण मद की समय सीमा समाप्त होने एवं ₹ 730.71 लाख व्यय करने तथा विगत 6 से 8 वर्ष गुज़र जाने के बाद भी लोक निर्माण विभग को सड़क **हस्तांतरित** नहीं हुई थी। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः- 2 ₹ 0.49 लाख त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की वसूली।

छठे वेतन आयोग के शासनादेश सं0 395/xxxii(7)/2008 दिनांक 17/10/2008 के दिशा निर्देश के अनुसार कार्मिको के छठे वेतन आयोग में वेतन निर्धारण वेतन दिनांक 31/12/2005 स्थिति के अनुसार किये जाने का प्रावधान है, कार्यालय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रूद्रप्रयाग में कार्यरत श्री भगत सिंह बर्थवाल (प्र.अधि.) की सेवा पुस्तिका की नमूना जांच करने पर यह पाया गया कि श्री भगत सिंह कि सेवा पुस्तिका में छठे वेतन आयोग में वेतन निर्धारण वेतन दिनांक 01/01/2006 के स्थिति को लेते हुये, उस पर एक वेतन वृद्धि देते हुये वेतन निर्धारण किया गया। जो कि नियमो के विरूद्ध था। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण वर्ष 2006 से 12/2017 तक कुल ₹ 96,732/- अधिक दिया गया। (विवरण संलग्न)

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने स्वीकारते हुये अपने उत्तर दिया कि श्री भगत सिहं की वेतन से वसूली दो किस्तों में की जानी है। पहली किस्त की वसूली की ₹ 0.48 लाख हो चुकी है, लेखापरीक्षा अवधि में ₹ 0.49 लाख की जानी है। ₹ 0.49 लाख त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन, यदि हो	अनिस्तारित प्रस्तरों का अनुपालन
02/2014-15	01	01	...	अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा सीधे ही महालेखाकार (ले0 प0) को भेजी जाएगी
124/2015-16	06	03	...	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड) रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } MB.66
   (ii) } **काम आदेश की किताबें**

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } **बिना माप के भुगतान**
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री विनोद कुमार	अधिशासी अभियंता	06.08.2012-01.10.2016
2.	श्री राकेश चन्द्र उनियाल	अधिशासी अभियंता	02.10.2016-वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.